बिहार सरकार,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

D-ब्लॉक, 5वाँ तल, सरदार पटेल, पटना–800023

अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंत भवन के द्वितीय तल स्थित, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पुराने कार्यालय में विविध सामग्रियों/ संपत्ति यथा स्प्लिट A/C, सीलिंग पंखा, आलमीरा (बड़ा) एवं (छोटा), रेक(बड़ा), कुर्सी (मूविंग), कुर्सी(सामान्य) , सोफा सेट, टेलीवीजन, बैट्री, फोटो कॉपी मशीन(बड़ा) ,सी0सी0टी0वी0 कैमरा सेट एवं DVR सामान आदि को नियमानुसार निष्प्रयोजन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर बिहार राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 13.07.2023 को 11.00 बजे पूर्वा0 में की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने के स्थिति में पुनः दिनांक 14.07.2023 को किया जायेगा।

<u>नीलामी हेतु नियम एवं शर्तेः–</u>

1. सामग्रियों की नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर प्राधिकरण कार्यालय, पटना के द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

2. नीलामी में भाग लेने इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

3. उपरोक्त सामग्रियों से सम्बंधित सुरक्षित जमा राशि 6,48,680/- रूपये का विवरणी प्राधिकरण के वेबसाईट http://www-bsdma-org/ पर देखा जा सकता है। सुरक्षित मूल्य से कम बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। नीलामी में बोली का अंतर ₹10,000/-(दस हजार) रुपये मात्र से कम नहीं होना चाहिये।

4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को Annexure-A में अंकित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

5. नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रधन के रूप में ₹50,000/-(पचास हजार) रुपये मात्र जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं । अग्रधन जमा करने की समय सीमा नीलामी हेतु निर्धारित पहली तिथि से 02 (दो) दिन पूर्व तक कार्यालय अवधि में ही जमा लिया जायेगा । अग्रधन SECRETARY, BSDMA के नाम से बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना होगा। असफल बोली वाले व्यक्ति को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।

6. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी नीलामी की जाने वाली सामग्रियों को अवलोकन दिनांक 10.07. 2023 को समय 11.00 बजे पूर्वा0 से 05.00 बजे किया जा सकता है

7. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी। इसके निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

8. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले सामग्रियों का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। नीलामीकर्ता द्वारा सामग्रियों में किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए प्राधिकरण जिम्मेवार नहीं होगा।

9. सफल बोलीदाता सामग्रियों को प्राप्त करने के नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर सामग्री ले जायेंगे। सामग्री खोलने आदि के कारण भवन में किसी प्रकार की क्षति का हर्जाना देना होगा।

10. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने /किसी सामग्री अथवा सम्पूर्ण सामग्री की बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा नीलामी को रद्द करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित रहेगा तथा अधोहस्ताक्षरी का निर्णण अंतिम होगा।

11. किसी भी व्यक्ति अथवा निविदादाता द्वारा नीलामी के समय नीलामी प्रक्रिया में व्यावधान पहुँचाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. इसकी जानकारी प्राधिकरण के वेबसाईट http://www-bsdma-org/ पर भी देखा जा सकता है।

13. कार्य दिवस में सामग्रियों के अवलोकन के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु प्राधिकरण कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है।

14. Annexure-A (जमानत की राशि का प्रारूप)

(क) बोली लगाने वाले का नाम...

(ख) पहचान पत्र...

(ग) बोली लगाने वाले का पता...

(घ) दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०...

(च) जमानत राशि का ब्यौरा

क्र०	ड्राफ्ट संख्या	तिथि	जारी करने वाले बैंक की विवरणी

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव